

ब
गुरदास सिंह ना मुखर्जन सिंह
म

मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 P.T.A

किस्म मुकदमा मु. माल 13/2020

3 एम

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ
2/2	<p>प्र. प्र. प्रार्थीगण की ओर से श्री मुखर्जन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रा. प्र. दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर आगामी दिनांक ... 5 ... 3 ... 20 ... को पेश हो।</p> <p>05-3-20 वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी द्वारा जामिने-3 के साथ मुखर्जन सिंह का शपथपत्र पेश किया। शपथपत्र में अग्रार्थी से 1 ता 3 को जारी नोटिस बाद तमोल प्राप्त हुआ। अग्रार्थी से 1 ता 3 अनुपस्थित। अग्रार्थी से 1 के विरुद्ध रकपदीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अग्रार्थी से 1 ता 3 के विरुद्ध रकपदीय कार्यवाही होने एवं स्थान पूर्णता पत्र में अन्य किसी प्रकार के शेष नहीं रहने पर आज ही रकपदीय बहल खुले जाने का निवेदन किया। बहल रकपदीय खुली गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निवेदन इस अशय की जारी की जाती है कि वे चक 35-3-20 के किलाने-5 में पत्थरलानि के साथ-साथ आ रहे रास्ते से प्रार्थी के जाने जाने में किसी प्रकार से धिक्क बधा उत्पन्न करने से एवं रास्ते को बन्द करने से निषेध रहे एवं मौका की यथास्थिति मूल प्रकरण 12/2020 के निस्तारण तक बनाये रखें। फावली वापर। नक्खर से कम की जाकर बाद तमोल जाबता संलग्न मूल प्रकरण संख्या 12/2020 अन्वयान गुरदास सिंह बनाम मुखर्जन सिंह रहे। ओर आज दिनांक 05-3-20 को लिखवा भाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>80 NI</p> <p>(उमैद सिंह खन्ना) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर</p>